न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-140/2016

मांगीलाल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कम्पनी, रजिस्टर्ड आफिस 8ए एक्सप्रेस टावर 42 ए शेक्सपीयर सरनी कोलकाता 700017, प0 बंगाल, जरिये मुख्त्यार खास राजेन्द्र कुमार रूंगटा पुत्र नारायणदास रूंगटा जाति महाजन निवासी बगड तहसील व जिला झुन्झुनू, राज0,

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- महावीर प्रसाद
2- विश्वम्भरलाल
3- मूलचन्द
4- मोहिनी
5- सुमन
6- नानी
7- द्रोपती
8- रामजीलाल

तथाकथित पुत्र/पुत्री झुथाराम जाति माली निवासी सेवाराम की ढाणी बगड तहसील व जिला झुन्झुनू ।

9- काशीराम पुत्र बंशीधर जाति जीनगर निवासी फुटला बाजार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, तथाकथित मुख्तयार रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 7,

10-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-01-2016 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, झुन्झुनू ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री सुरेन्द्रसिंह किशनावत एडवोकेट-अपीलान्ट
2- श्री हजारीलाल सूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 17-5-2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या- 1 से 7 ने जरिये मुखतयार आम एक प्रार्थना पत्र पेश कर खाता संख्या- 753 खसरा नं0 311 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 336 रकबा 1.04 हैक्टर, ख0नं0 336/2200 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 1.25 हैक्टर वाके ग्राम बगड प्रार्थीगण के पिता झुथाराम पिता तनसुखराम माली निवासी बगड की गैरखातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। फौती इन्तकाल प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होचुका । उक्त आराजी पिछले 60 वर्षों से प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है । इस कारण प्रार्थीगण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । आराजी गत ख0नं0 671 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नं0 336 रकबा 1.04 हैक्टर, ख0नं0 336/2200 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि कृषि भूमि न होकर अपीलान्ट कम्पनी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि है । जिस पर अपीलान्ट का एवं अपीलान्ट से पूर्व उनके पूर्वज मांगीलाल वल्द हरकरणदास रूंगटा का स्वामित्व एवं आधिपत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया उससे पूर्व से चला आ रहा है ।जिसको मांगीलाल रूंगटा ने तत्कालीन ठिकाना नवलगढ से आबादी हेतु प्राप्त किया था । जिस पर वे बहैसियत मालिक काबिज व आबाद रहे हैं ।मांगीलाल रूंगटा ने सन् 1944 में उक्त आराजी के चारो तरफ पुख्ता चार दीवारी का निर्माण करवाया तथा रिहायशी हेतु इसमें एक मकान व पीने के पानी हेतु एक कुए का निर्माण करवाया

नगरपालिका बगड के आबादी क्षेत्र में गत वार्ड सं0-5 हाल वार्ड संख्या- 9 में उक्त आराजी स्थित है जो नगरपालिका बगड के गृहकर सम्पत्ति रजिस्टर के क्रमांक 93/131 पर अपीलान्ट कम्पनी के नाम से दर्ज है। जिसका गृहकर प्रारम्भ से दिनांक 31-3-13 तक अपीलान्ट ने निरन्तर जमा करवाया है । जिसकी रसीदो की प्रति अपील मीमों के साथ पेश है ।उक्त आराजी के चारो तरफ संघन आबादी बसी हुई है । उक्त आराजी कभी भी कृषि भूमि अथवा खातेदारी की भूमि नहीं रही है ।इस आराजी के बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । विवादित आराजी को बिना किसी अधिकार के सम्वत 2032 में झुथाराम पुत्र तनसुखराम की गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका जमाबन्दी पर नामान्तरकरण संख्या-891 का नोट दर्ज है किन्तु नामान्तरकरण संख्या-891 कब्जा नहीं होने से खारिज कर दिया गया किन्तु जमाबन्दी में दर्ज नोट नहीं हटाये जाने से उक्त आराजी राजस्व के रेकार्ड में झुथाराम के गैर खातेदारी में दर्ज चलती रही ।जबकि यह नामान्तरकरण सं0-891 कब्जा के अभाव में खारिज किया गया है । उक्त आराजी ख0नं0 671 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को जमाबन्दी सं0-2012 से 2031 तक अपीलान्ट की स्वामित्व की दर्ज करते हुये इस आराजी को आबादी व राजकीय बंजड अव्वल दर्ज कर रखा है। इसके बाद इस आराजी को सम्वत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में किसी झुथाराम व्यक्ति के नामान्तरकरण संख्या-891 से गैरखातेदारी में दर्ज कर दी तथा इसी नामान्तरकरण को कब्जा के अभाव में खारिज का नोट भी दर्ज है किन्तु राजस्व रेकार्ड मे झुथाराम के नाम से गैर खातेदारी का इन्द्राज बिना किसी आधार के दर्ज जारी रहा ।जबकि यह आराजी सम्वत 2012 में आबादी दर्ज है तथा मदनलाल वल्द मांगीलाल महाजन के नाम दर्ज कर रखा है। खसरा गिरदावरी में यह आराजी किस्म पडत कदीमी लिखा हुआ है अर्थात यह आराजी कभी भी काश्त के काम नहीं आई । अन्तिम खसरा गिरदावरी सं0 2033 में अपीलान्ट का कब्जा माना है। विवादित आराजी के बाबत एक वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश झुन्झुनू में मांगीलाल एस्टेट प्राईवेट लि0 बनाम राजस्थान

सरकार विचाराधीन है जिसमें विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुये हैं जो आज भी प्रभावित है । इसके बाद अदालत मातहत ने विवादित आराजी के बाबत आदेश पारित किया तथा तहसीलदार ने नामान्तरकरण सं0- 1106 व 1235 को तस्दीक किया गया जो विधि के विपरित तस्दीक किये गये हैं । न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0-2 झुन्झुनू द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में मौके की विषय वस्तु की रिपोर्ट मौका कमिश्नर से चाही जो दिनांक 31-1-2013 को विवादित आराजी की फौटो सहित तैयार कर भिजवाये जिसमें उक्त आराजी बगड की घनी आबादी के बीच में बताई है जिसमें मकान कुआ बना हुआ है विवादित आराजी के चारो तरफ काफी पुरानी चुना की चार दीवार बनी हुई है जिसमें पश्चिम दरवाजे के दाये पीलर में चिनाई के साथ का ही 1944 खुदा होना तथा बाई तरफ के पिलर पर अंग्रेजी वर्णमाला में एच0एम0आर0 खुदा होना अंकित है। तथा मौके पर अपीलान्ट कम्पन्नी के चौकीदार विजयसिंह का मौके पर मौजूद होना यह साबित करता है कि अपीलान्ट का इस आराजी पर कब्जा है ।मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0-2 झुन्झुनू द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार झुन्झुनू को दी ब गई थी जो उनके रजिस्टर में दर्ज है । इसके बाद भी तहसीलदार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवेहलना कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट द्वारा ब्बे किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श मार्क नही करवाया है तथा अदालत मातहत में केवल प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थना पत्र में बिना नम्बर डाले ही रेस्पोडेन्ट को सुन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दावा डिक्री कर दिया । इस आदेश की जानकारी अपीलान्ट की सम्पत्ति पर रह रहे कम्पनी के चौकीदार के पास कुछ भूमाफिया किस्म के व्यक्ति दिनांक 22-5-16 को मौके पर आये तथा उन्होने इस आराजी के बाबत धमकी दी ब कि हमने इस आराजी का निर्णय उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू के यहां से हमारे पक्ष में करवा लिया अब इस आराजी को अन्य को बैचान कर आपको जबरन बेदखल कर देगें। जिस पर चौकीदार ने अपीलान्ट के मुखत्यार

राजेन्द्रकुमार रूंगटा को सूचना दी । जिस पर अपीलान्ट के मुखत्यार ने अपने वकील को आकर दिनांक 23-5-2016 को बताया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 25-5-16 को मिली । जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया ।इन सब तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की तथा अलग से धारा-5 तथा अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने पर धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करते हुये यह अपील पेश की। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि सर्व प्रथम तो अपीलान्ट की अपील मियाद के बाहर है और दूसरा अपीलान्ट का विवादित आराजी पर न तो कब्जा है और ना ही इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध है । अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील खारिज की जावे । विवादित आराजी लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 8 के स्व0 पिता झुंथाराम पुत्र तनसुख राम माली निवासी बगड़ के नाम गैर खातेदारी में सम्वत 2033 से लगातार रही है । प्रतिवादी/अप्रार्थी ने अदालत मातहत में जबाब दावा पेश किया । हमने अदालत मातहत में मौखिक साक्ष्य पेश की है । राजस्व रेकार्ड में हमारे पिता झुथाराम के नाम से गैर खातेदारी लगातार दर्ज रही है तथा कब्जा निर्बाध रूप से जारी रहा है । हमारे पिता का देहान्त होने के बाद इस

आराजी पर हमारा कब्जा काश्त लगातार रहा है । अर्थात विवादित आराजी पर हमारा 12 वर्ष से अधिक समय तक निर्बाध रूप से कब्जा रहा है। कानूनन गैर खातेदार को ग खातेदार दर्ज करने मे किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है । यदि मान लिया जाये कि अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज खातेदार है तो फिर ये सिविल न्यायालय में क्यों गये। इस आराजी से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट के मन में केवल बेईमानी आ गई । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल मिसल हकीयत सम्वत 1999 में ख0नं0 670 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 671 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा किस्म ब0अब्बल दर्ज है जो नाम पाना ठा0 बागसिंह जी मजकूर के नाम दर्ज है ।मिलान खेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 670 रकबा 16 बिस्वा के हाल ख0नं0 311 रकबा 0.20 हैक्टर बने तथा गत ख0नं0 671 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के हाल ख0नं0 336 रकबा 1.04 हैक्टर एवं 336/2200 रकबा 0.01 हैक्टर बने हैं । जमाबन्दी अवधि सम्वत 2060 से 2080 में ख0नं0 670 व 671 झुथाराम पुत्र तनसुख माली के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है ।जमाबन्दी सं0 2016 से 2019, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035 में विवादित आराजी राजकीय खाते में दर्ज है किसकी किस्म बनड अव्वल दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2032 से 2035 में ख0नं0 670 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 671 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा झुथाराम पुत्र तनसुख गैर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी पर नामान्तरकरण सं0- 891 का नोट दर्ज है । जिसमें यह गैरखातेदारी नियम होने पर दर्ज की है । सम्वत 2041 से 2044 में भी झुथाराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2069 से 2072 में झुथाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण सं0- 1106 के द्वारा विरासत का नोट रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज किया है । खसरा गिरदावरी सं0- 2009 से 2012 में ख0नं0 671 मकबूजा ठिकाना के नाम दर्ज है किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है जिसके काल सं0-32 में मदनलाल वल्द मांगीलाल महाजन दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2013 से 2016 में उप कृषक के कालम में राजकीय मदनलाल वल्द मांगीलाल महाजन का नाम दर्ज है किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है ।

सम्वत 2017 से 2020 में राजकीय दर्ज है किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है । उसरा गिरदावरी सं0- 2025 से 2028, 2029 से 2032 में राजकीय किस्म पडत बंजड दर्ज है । सम्वत 2037 से 2040 में झुथाराम पुत्र तनसुख के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है किस्म पडत दर्ज है । सम्वत 2041 से 2044, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2057 से 2060 में विवादित आराजी झुथाराम पुत्र तनसुख गैर खातेदार किस्म पडत दर्ज है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 8 ने एक साधारण प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसमें झुथाराम के स्थान पर उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार दिये जावे । इस प्रार्थना पत्र को दर्ज करने के आदेश दिनांक 22-5-2015 को ही दिये गये किन्तु यह प्रार्थना पत्र दर्ज नहीं किया । प्रार्थना पत्र में किसी को भी प्रतिवादी अथवा अप्रार्थी नहीं बनाया गया न ही किसी को अदालत मातहत में नोटिस जारी किया गया है । दिनांक 23-7-2015 को तहसीलदार द्वारा जबाब पेश करना दर्ज किया है किन्तु इस दिनांक को कोई जबाब पेश नहीं हुआ केवल पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है । जिसको ही जबाब मानकर आदेश पारित किया है । अपीलान्ट सम्वत 2009 से 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से इस आराजी पर काबिज है जो इस आराजी में अपनाहित रखता है जिसको अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया । इस कारण अपीलान्ट ने यह अपील मियाद के बाहर पेश कर जानकारी से अन्दर मियाद पेश करना बताया है तथा अलग से अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने पर प्रार्थना पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्द मियाद शुमार की जाती है तथा सम्वत 2009 में मदनलाल वल्द मांगीलाल महाजन का नाम दर्ज होने से उक्त आराजी का अपीलान्ट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा-96 सी पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अपील की अनुमति दी जाती है ।

मुख्य अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पत्रावली के अवलोकन से आया कि नामान्तरकरण संख्यां- 891 के द्वारा जमाबन्दी सं0 2032 से 2035 में इन्द्राज किया गया है । इस नामान्तरकरण को कब्जा नहीं होने से खारिज किया गया है । कब्जा बाबत जांच कर हल्का गिरदावर ने नामान्तरकरण पर रिपोर्ट की है कि झुथाराम का कब्जा नहीं है। जब जिस नामान्तरकरण से झुथाराम का राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज हुआ वह शुरु में ही खारिज कर दिया गया। सहवन से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज रह जाने से रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानने की अवधारणा गलत ली गई है । जमाबन्दी सं0-2012 से 2015 में विवादित आराजी की किस्म बजड अव्वल दर्ज रही है । माननीय जिला न्यायाधीश झुन्झुनू में दीवानी दावा सं0-12/2013 उनवान मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार पेश किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र है जिसमें मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 31-01-2013 को मौके की रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई है । जिसमें विवादित आराजी के चारो तरफ चार दीवारी बनी हुई है अन्दर मकान बना हुआ है जिसमें बिजली फिटिंग की हुई है । कोटडी में वादी मांगीलाल स्स्टेट प्रा0लि0का0 का चौकीदार विजयसिंह रिहायश कर रहा है तथा कोटडी ए0बी0सी0 तीनों का ताला खोलकर दिखाया । लोहे के गेट पर मांगीलाल स्टेट प्रा0लि0 लिखा हुआ है ।विवादित आराजी के चारो तरफ शेखावतों की घनी आबादी है । साथ में विवादित आराजी के फोटो भी संलग्न किये है । नगरपालिका बगड ने क्रमांक 221 दिनांक 26-4-2011 में प्रमाण पत्र जारी किया कि मांगीलाल स्टेट प्रा0लि0 वार्ड सं0- 9 में स्थित बगड नगरपालिका में सर्वे रजिस्टर के मुताबिक नगरीय विकास में गृह कर जमा कराते आ रहे हैं ।गृहकर जमा की रसीद पुस्त संख्या-36 क्र0सं0-16 दिनांक 1-4-74 से 31-3-75 तक का जमा करवाया जो लगातार जमा करवाकर रसीद पेश की है । नगरीय विकास कर की जमा रसीद भी अपीलान्ट द्वारा पेश की है जो मांगीलाल रूंगटा के नाम से हैं । जो दिनांक 31-3-2013 तक जमा करवाकर रसीद पेश है । सर्टिफिकेट कम्पनी 28-6-1951 जो दिनांक 4-3-1955 को रजिस्टार आफ [illegible] के यहां रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें [illegible]

पेज संख्या-15 रजिस्टर क्रमांक 247 पर दर्ज है। जमाबन्दी सं0-2012 से 2015 में यह आराजी गै0मु0 आबादी दर्ज है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 31-1-2013 से साबित है । मौका रिपोर्ट दिनांक 31-1-2013 में यह आराजी घनी आबादी के बीच में वार्ड सं0-9 में स्थित बताई है ।नगरपालिका ने इस आराजी पर अपीलान्ट से गृहकर एवं नगरीय विकास कर जमा लिया है ।इससे यह स्पष्ट है कि यह आराजी गै0मु0 आबादी भूमि रही है । इस आराजी पर कभी भी काश्त किया जाना स्पष्ट नहीं है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे प्रभाव में आया(15-10-1955) जबकि कम्पनी कीा रजिस्ट्रेशन दि0 4-3-55 को हुआ है । अपीलान्ट नगरपालिका को हाऊस टेक्स अदा करते आ रहे है । अर्थात यह आराजी आबदी भूमि दर्ज है । सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 7-2-2013 को मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये है। इसके बावजूद तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या- 1106 व 1235 के अनुसार रेकार्ड मे बदलाव किया जो सिविल न्यायालय के आदेश की अवेहलना सिद्ध है। साथ ही अदालत मातहत मे रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22-7-2015 को पेश किया जिसे अदालत मातहत में दिनांक 22-5-2015 में मार्क किया दर्ज करने के आदेश भी इसी दिनांक को दिये किन्तु यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर नहीं किया गया । इसका तात्पर्य यही रहा कि इस प्रार्थना पत्र को जो 22-7-2015 को पेश किया गया उसे 22-5-15 मे किस प्रकार दर्ज किया जावे और प्रार्थना पत्र पर कोई नम्बर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया ना ही अप्रार्थी दर्ज है ना किसी को कोई नोटिस जारी किया जाना दर्ज है और ना हि कोई नोटिस जारी किया हुआ पत्रावली में शामिल है। अप्रार्थी का जबाब आना दर्ज किया है किन्तु पत्रावली में कोई जबाब नहीं केवल मौका रिपोर्ट 23-7-15 की पेश है ।इस प्रकार अदालत मातहत ने न तो राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया और ना ही किसी दस्तावेज को प्रदर्श मार्क किया । केवल एक प्रार्थना पत्र पर ही रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के अभाव में शून्य है । विवादित आराजी नगर-

-पालिका के हाऊस टेक्स एवं जमाबन्दी में दर्ज गै0मु0 आबादी एवं सिविल कोर्ट द्वारा ली गई मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में विवादित आराजी घनी आबादी मे वार्ड संख्या-9 में बताई गई है जो गै0मु0 आबादी है । यह आराजी कभी भी काश्त की नहीं रही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व अपीलान्ट के नाम रही है । विवादित आराजी गै0मु0 आबादी दर्ज होने से तथा नगरपालिका के क्षेत्र मे होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं रही है

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-1-2016 खारिज किया जाता है । अदालत मातहत के आदेश से राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का बदलाव किया गया है तो मा0 जिला न्यायाधीश झुन्झुनू के स्थगन आदेश दिनांक 7-2-2013 के पूर्व की स्थिति को बहाल कर दावे के पूर्व की स्थिति में राजस्व रेकार्ड को रखा जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 17.5.2018 को सुनाया गया ।

17/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर